रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052023-246016
CG-DL-E-24052023-246016

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2023/ज्येष्ठ 2, 1945
No. 309] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2023/JYAISHTHA 2, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2023

सा.का.नि. 381(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 का, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 2के, उप-नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर,निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —

(ख) "इकाई" से,कैप्टिव उपभोक्ताओं के सिवाय, कोई ऐसा उपभोक्ता अभिप्रेत है जिसकी अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक ही विद्युत खंड में स्थित सिंगल कनेक्शन के माध्यम से सौ किलोवाट या उससे अधिक है या बहुविध कनेक्शनों के माध्यम से सौ किलोवाट या उससे अधिक हैः

परंतु कैप्टिव उपभोक्ताओं के मामले में कोई भार सीमा नहीं होगी;

3.उक्त नियम के, नियम 5के, उप नियम (2) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थातः-

"परंतु केवल वही उपभोक्ता जिनकीअनुबंधित मांग या स्वीकृत भार किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक हीविद्युतखंड में स्थित सिंगल कनेक्शन के माध्यम से सौ किलोवाट या उससे अधिक है या बहुविधकनेक्शनों के माध्यम सेसौ किलोवाट या उससे अधिक है, वे हरित ऊर्जा खुली पहुँच के माध्यम से विद्युत लेने के पात्र होंगे तथाहरित ऊर्जा खुली पहुँचके अधीन विद्युत लेने वाले कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की कोई सीमा नहीं होगी:"

4.उक्त नियम के, नियम 9 के, उप नियम (2) में, चौथे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थातः

“परंतु यह भी कि दिसंबर, 2032तक आरंभ की जा चुकी अपतटीय पवन परियोजनाओं से उत्पादित और खुली पहुँच उपभोक्ता को आपूर्ति की गई विद्युत के मामले में अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।”

[फा. सं. 23/09/2021-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव,

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र की संख्यासा.का.नि. 418 (अ), तारीख 6 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थेऔर अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 59 (अ), तारीख 27 जनवरी, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2023

G.S.R. 381(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022, namely: —

1. (1) These rules may be called the Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said Rules), in rule 2, in sub-rule (1), for the clause (b), the following clause shall be substituted, namely: —

(b) “entity” means any consumer who has contracted demand or sanctioned load of Hundred kW or more either through single connection or through multiple connections aggregating Hundred kW or more located in same electricity division of a distribution licensee, except for captive consumers:

Provided that in case of captive consumers, there shall not be any load limitation;

3. In the said Rules, in rule 5, in sub-rule (2), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that only consumers who have contracted demand or sanctioned load of Hundred kW or more, either through single connection or through multiple connections aggregating HundredkW or more located in same electricity division of a distribution licensee, shall be eligible to take power through Green Energy Open Access and there shall be no limit of supply of power for the captive consumers taking power under Green Energy Open Access:”

4. In the said Rules, in rule 9, in sub-rule (2), for fourth proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —

"Provided also that additional surcharge shall not be applicable in case electricity produced from offshore wind projects, which are commissioned upto December, 2032 and supplied to the Open Access Consumers."

[F. No. 23/09/2021-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 418 (E), dated 6th June, 2022 and was last amended vide notification number G.S.R. 59 (E), dated 27th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.05.24 14:19:04 +05'30'